an>

Title: Election of two members from Lok Sabha to the Central Advisory Board on Disability.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत): महोदया,मैं प्रस्ताव करता हूं :

> “कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 60 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन दिव्यांगता संबंधी केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में उस अवधि के लिए, जब तक कि वे सभा के सदस्य रहते हैं, कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें ।”

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> “कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 60 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन दिव्यांगता संबंधी केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में उस अवधि के लिए, जब तक कि वे सभा के सदस्य रहते हैं, कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें ।”

<u>*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ*</u>

-

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति: सभा की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

<u>12.07 hrs</u>

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

<u>14.02 hrs</u>

The Lok Sabha reassembled at Two Minutes past Fourteen of the Clock.

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

<u>14.02 ½ hrs</u>

At this stage, Adv. A.M. Ariff, Shri Kodidunnil Suresh and some other Hon. Members came and stood on the floor near the Table.

…(<u>व्यवधान</u>)